न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :— 79 / 2023

उनवान

1. सुरज्ञानी देवी पत्नी कालू
2. देवेन्द्र पुत्र कालू
3. बलजीत पुत्र कालू
4. रतन लाल पुत्र कालू

समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

5. कमली देवी पुत्री श्री कालू पत्नी ओमप्रकाश
6. नाथी पुत्री कालू पत्नी सुरेश

समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम डहरा तह0 थानागाजी जिला अलवर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2. उपंजीयन कार्यालय उपतहसील मनोहरपुर जिला जयपुर राज0।
3. कमली पुत्री नारायणलाल
4. दुर्गा देवी पत्नी नारायणलाल
5. पप्पू पुत्र नारायणलाल
6. बाबूलाल पुत्र नारायणलाल
7. बिल्लू पुत्री नारायणलाल
8. मदनलाल पुत्र नारायणलाल
9. ममता देवी पुत्री नारायणलाल
10. महेशी पुत्री नारायणलाल
11. रामजीलाल पुत्र नारायणलाल
12. संतोष पुत्र नारायणलाल
13. सावित्री पुत्री नारायणलाल

समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 11/09/23

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थीयागण के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 1004/3769 रकबा 0.05, 1005 रकबा 0.22, 1006 रकबा 0.19 1074 रकबा 0.53, 1075 रकबा 0.43, 1081 रकबा 0.33, 1082 रकबा 0.31, 1084 रकबा 0.55, 1085 रकबा 0.57, 1090 रकबा 0.84, 1099/3785 रकबा 0.15 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 4.17 है0 एवं हाल आराजी ख0 न0 1099/0.7550, 1099/2/.0065 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.82 है0 वाके ग्राम बिशनगढ पटवार हल्का बिशनगढ तह0 शाहपुरा प्रार्थीयागण की खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर कब्जा कास्त करते चले आ रहे है। जिसका उप तहसीलदार मनोहरपुर के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/2023/91 दिनांक 23.06.2023 की पालना में दिनांक 27.06.2023 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीयागण की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

विवाद चलता रहता है। प्रार्थीयागण उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं हुए । वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 27.06.2023 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के हाल खाता संख्या 44 में प्रश्नागत आराजी खसरा नम्बर 1004/3769 रकबा 0.05, 1005 रकबा 0.22, 1006 रकबा 0.19 1074 रकबा 0.53, 1075 रकबा 0.43, 1081 रकबा 0.33, 1082 रकबा 0.31, 1084 रकबा 0.55, 1085 रकबा 0.57, 1090 रकबा 0.84, 1099/3785 रकबा 0.15 कुल किता 11 कुल रकबा 4.17 है0 एवं खाता संख्या 46 के आराजी खसरा नंबर 1099 रकबा 0.7550 है0, 1099/2 रकबा 0.0650 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8200 है0 वाके ग्राम बिशनगढ पटवार हल्का बिशनगढ़ तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2023 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक ...11/09/23...... को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर